# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
## पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 53/2018

**अपीलांट–**
1. मानसिंह पुत्र सगतसिंह
2. शैतानसिंह पुत्र सगतसिंह
3. रेवन्तसिंह पुत्र सगतसिंह
4. अभेसिंह पुत्र सगतसिंह

जाति राजपूत निवासी मारूड़ी
तहसील व जिला बाड़मेर

***बनाम***

**रेस्पोडेंट्स –**
1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बाड़मेर
2. खेतसिंह पुत्र ओमसिंह

जाति राजपूत निवासी पाबूपुरा
तहसील व जिला बाड़मेर

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2018 जो अपीलांट्स व उत्तरदाता सं. 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।**

उपस्थिति :–
1. श्री हाकमसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 06.09.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा पाबूपुरा के खेत खसरा नम्बर 384ख 401, 411 रकबा क्रमशः 11–04, 20–08, 08–17 बीघा किस्म बा0दो0 व मौजा मारूड़ी के [illegible] नम्बर 54, 70 व 289 रकबा क्रमशः 03–18, 13–16, [illegible] बीघा [illegible] के खातेदारान मानसिंह, शैतानसिंह, रेवन्तसिंह, अ[illegible] खेतसिंह पुत्र ओम[illegible] कौम राजपूत सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible]5.2018 तहसीलदार [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा मारूड़ी, पाबूपुरा के खाता संख्या 58, 71 खसरा नम्बर 54, 70, 289, 384, 401, 411 कुल रकबा 66–05 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्सों के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.11.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स ने संयुक्त खातेदारी की कृषि जोत का विभाजन सहमति से करवाना तय किया गया। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी पर विश्वास कर कदीमी मौका कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव रखा जिस पर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति इकरारनामा व नक्शा के साथ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश हुए। रेस्पो0 सं. 2 ने हल्का पटवारी से मिलकर मौजा मारूड़ी के खसरा नम्बर 289 जो मारूड़ी से आटी सड़क पर आया हुआ हैं को अपने अकेले के नाम बंटवाड़ा में ले लिया। यह खसरा नम्बर 289 सड़क पर आया हुआ होने से अन्य खसरान की भूमि से कई गुना कीमत का है। तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शों में यह नहीं दर्शाया गया था कि किस खातेदार को बंटवाड़ा में कौनसा भाग मिलेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती बड़ी भारी भूल की हैं। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2 का सभी खसरों में 1/2–1/2 हिस्सा पर कब्जा हैं किन्तु रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खसरा नम्बर 289 का पूरा रकबा 08–02 बीघा रेस्पोडेंट सं. 2 अकेले को दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत सहमति बंटवाड़ा अपीलांट्स को पढ़कर नहीं सुनाया गया व समझाया गया जिस कारण सम्पूर्ण खसरे रखने बाबत ज्ञान नहीं हो सका। अभी करीब 15 दिन से रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा अपीलांट्स को खसरा नम्बर 289 से कब्जा हटाने बाबत कहा तब अपीलांट्स द्वारा कारण पूछा तो बताया कि यह खसरा आवगा सहमति बंटवाड़ा में दिया गया हैं। इस पर अपीलांट्स के गांव के लोगों द्वारा रेस्पोडेंट सं. 2 को समझाईस करवाई तब रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा दिनांक 08.10.2018 को प्रतिलिपि की फोटो कॉपी दी और कहा कि मेरे फैसला हो गया हैं यह खेत नहीं छोडूंगा। इस पर अपीलांट्स द्वारा सहमति बंटवाड़ा की नकल हेतु प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.10.2018 को प्रस्तुत किया तथा नकल तैयार होकर दिनांक 30.10.2018 को प्राप्त होने पर सहमति बंटवाड़ा में हुई गलतियों का ज्ञान हुआ। जिससे यह अपील ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं साथ ही एतिहातन धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 15.05.2018 निरस्त फरमाया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 15.05.2018 में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं तथा मौके पर पक्षकारान का कब्जा–काश्त अनुसार ही विभाजन किया गया था जिस पर रेस्पो0 सं. 2 ने अपने हिस्से की भूमि पर खाद बीज आदि डालकर उपजाउ बनाई गई तथा अपने–अपने हिस्से की रहवासी ढाणी में निवास कर रहे हैं परन्तु अपीलांट्स की नियत में खोट आने से सहमति विभाजन के करीब छः माह के घोर विलम्ब के बाद यह अपील पेश की गइ हैं जो मयाद बाहर होने से पोषणीय नही हैं। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 ने अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति से हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित किये हैं ऐसे में अपीलांट का यह [illegible] कि वह उन्हे धोखे में रखकर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करवा [illegible] पूर्णतया मिथ्या कथन हैं। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2 ने अपनी स्वतंत्र सहमति व जानकारी से राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में हल्का पटवारी से मौके पर पक्षकारान के कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उस पर समस्त सहखातेदारों द्वारा अपनी स्वतंत्र जानकारी व सहमति से हस्ताक्षर कर सरपंच, ग्राम पंचायत मारूड़ी के द्वारा पहचान करवाकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तस्दीक करवाया गया, जो पक्षकारान के मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार सही विभाजन किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील मयाद समाप्ति पश्चात यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की है जिसका समुचित कारण न तो अपील में अंकित किया हैं और न ही आवेदन पत्र में अंकन किया हैं जबकि विधि अनुसार अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट करने के लिए कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील पूर्णतया मयाद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य हैं। अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. सं. 2 की भूमि हड़पने के उद्देश्य से एवं नाहक ही परेशान व खर्चे से जेरबार करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.05.2018 तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के शिविर में प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तावित विभाजन अनुसार भूमि आपसी रजामंदी अनुसार प्रदान की गई हैं। इस विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नक्शा केवल पक्षकारान के हिस्से की स्थिति दर्शाने हेतु नजरीया नक्शा है, जिसका राजस्व रेकर्ड मे अंकन हेतु मौके पर पैमाईश की जाकर रेकर्ड मे दर्ज रकबा अनुसार तरमीम का अंकन किया जाना हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि खसरा नम्बर 289 मौजा मारूड़ी का सम्पूर्ण रकबा 08–02 बीघा भूमि रेस्पोडेंट ने अकेले ही रख ली हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानी अंकित किये गये है। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा राजस्व अभियान न्याय आपके

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वार–2018 में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 6 माह बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जबकि अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चूनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। इसके उपरांत भी यदि पक्षकारान इस सहमति विभाजन इकरारनामा को छल–कपट के द्वारा अथवा धोखे में रखकर निष्पादित करवाया जाना मानते हैं तो इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई 6 माह की समयावधि के विलम्ब का कोई ठोस एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.09 17:46:23 IST
Reason: SelfAttested